

प्रेस नोट दिनांक 09.08.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना लीलापुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म, पॉक्सो के अभियोग में वांछित अभियुक्त रितिक श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष किया गया प्रस्तुत।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी लीलापुर श्री अमला सिंह के नेतृत्व में थाना लीलापुर के व0उ0नि0 अंकुर कैथवास मय उ0नि0 देवी दयाल कश्यप मय हमराह रि0का0 विशाल यादव, रि0का0 अनुराग कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचन पर अन्तर्गत धारा 64(2)(k)/64(2)(m)/65(1)/352/351(3) बी0एन0एस0 व 5k/5j(2)/6 पॉक्सो एक्ट थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ के अभियोग से संबंधित अभियुक्त रितिक श्रीवास्तव पुत्र हरिकेश श्रीवास्तव नि0 ग्रा0 यादवपुर सकरौली थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत गुरु ढाबा के पास गाबी महुआवन जाने वाले तिराहे पर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. रितिक श्रीवास्तव पुत्र हरिकेश श्रीवास्तव नि0 ग्रा0 यादवपुर सकरौली थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष ।

पुलिस टीम का विवरण-

व0उ0नि0 अंकुर कैथवास मय उ0नि0 देवी दयाल कश्यप मय हमराह रि0का0 विशाल यादव, रि0का0 अनुराग कुमार थाना लीलापुर प्रतापगढ़ ।

थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

थाना बाघराय पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना बाघराय के उ0नि0 जयसुशील मिश्रा मय हमराह का0 अरविंद कुमार, का0 सुनील कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन, तलाश वांछित, वारंटी दौरान मा0 न्यायालय श्रीमान

सिविल जज एफ टीसी कक्ष सं0 2 प्रतापगढ़ द्वारा जारी गैर जमानतीय वारन्ट मु0नं0 235/15 अ0सं0 64/2000 धारा 279,304ए भादवि थाना बाघराय प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 01 अभियुक्त अनीश अहमद पुत्र वसारत उल्ला निवासी जफरापुर थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 50 वर्ष को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.अनीश अहमद पुत्र वसारत उल्ला निवासी जफरापुर थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 50 वर्ष ।

पुलिस टीम- उ0नि0 जयसुशील मिश्रा मय हमराह का0 अरविंद कुमार, का0 सुनील कुमार थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़

थाना फतनपुर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना फतनपुर के उ0नि0 राहुल कुमार मय हमराह का0 सुशील पटेल, का0 ओम प्रकाश पाल, का0 दीपक राजभर म0आ करिश्मा सरेज व म०रि०आ० आसिया खातून द्वारा देखभाल क्षेत्र/ चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन, तलाश वांछित, वारंटी दौरान मु0न0 19244/2021 अ0स0 86/1995 धारा 323,504,324 भादवि थाना फतनपुर प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 01 अभियुक्त बृजलाल पुत्र रामकरन यादव निवासी ग्राम करका थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

इसी क्रम में थाना फतनपुर के उ0नि0 आकाश कुमार शुक्ला मय हमराह का सुजीत यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन, तलाश वांछित, वारंटी दौरान मु0न0 746/2025 अ0स0 746/2023 धारा 144 वसूली वारण्ट थाना फतनपुर प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 01 अभियुक्त हरिशचन्द्र सरोज पुत्र छोटेलाल निवासी ग्राम बघेवरा, भोजेमऊ थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. बृजलाल पुत्र रामकरन यादव निवासी ग्राम करका थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ ।
2. हरिशचन्द्र सरोज पुत्र छोटेलाल निवासी ग्राम बघेवरा, भोजेमऊ थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 राहुल कुमार, उ0नि0 आकाश कुमार शुक्ला मय हमराह का0 सुजीत यादव, का0 सुशील पटेल, का0 ओम प्रकाश पाल, का0 दीपक राजभर म0आ करिश्मा सरेज व म०रि०आ० आसिया खातून थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त सचिन पटेल को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष किया गया प्रस्तुत।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी संग्रामगढ़ श्री मनोज कुमार तोमर के नेतृत्व में थाना संग्रामगढ़ के उ0नि0 अंशु सिंह सेंगर मय हमराह का0 विवेक यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 69/352/351 (3) बीएनएस थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ के अभियोग से संबंधित अभियुक्त सचिन पटेल पुत्र धरमू पटेल निवासी ग्राम रघुवर थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत बंधवा तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. सचिन पटेल पुत्र धरमू पटेल निवासी ग्राम रघुवर थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अंशु सिंह सेंगर मय हमराह का0 विवेक यादव थाना संग्रामगढ़ प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़

आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के प्रकरण में वांछित अभियुक्त को थाना कोतवाली नगर पुलिस ने किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के प्रकरण में वांछित 01 अभियुक्त गोपाल कृष्ण पाण्डेय उर्फ कमलेश पाण्डेय को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11.06.2026 को वादिनी नूतन तिवारी निवासी इटहरा, मुगराबादशाहपुर, जनपद जौनपुर द्वारा थाना कोतवाली नगर पर तहरीर दी गई कि उसकी बहन चांदनी की शादी करीब 14 वर्ष पूर्व अजय पाण्डेय पुत्र गोपाल कृष्ण उर्फ कमलेश पाण्डेय निवासी रंजीतपुर चिलबिला बराछा, प्रतापगढ़ के साथ हुई थी। आरोप है कि ससुरालीजनों द्वारा मृतका को लगातार मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था तथा उसके गहने एवं रुपये छीन लिए जाते थे। वादिनी के अनुसार दिनांक 07.06.2026 को इसी प्रताड़ना एवं साजिश के चलते मृतका को जहर खाने के लिए विवश किया गया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 337/2026 धारा 108/61(2) बीएनएस बनाम अजय पाण्डेय आदि के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त एवं वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री आशुतोष मिश्रा के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री सुभाष कुमार

यादव के नेतृत्व में उ०नि० अंकित कुमार तिवारी मय हमराह का० अनिल, का० मोहित एवं का० विशाल पुरी द्वारा देखभाल क्षेत्र, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु०अ०सं० 337/2026 धारा 108/61(2) बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त गोपाल कृष्ण पाण्डेय उर्फ कमलेश पाण्डेय पुत्र अनन्तराम पाण्डेय, दत्तक पुत्र भगवतीदीन पाण्डेय, निवासी रंजीतपुर चिलबिला, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 62 वर्ष को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. गोपाल कृष्ण पाण्डेय उर्फ कमलेश पाण्डेय पुत्र अनन्तराम पाण्डेय, दत्तक पुत्र भगवतीदीन पाण्डेय, निवासी रंजीतपुर चिलबिला, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 62 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-

उ०नि० अंकित कुमार तिवारी मय हमराह का० अनिल, का० मोहित एवं का० विशाल पुरी, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़

थाना मान्धाता पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना मान्धाता के उ०नि० शिवनाथ सिंह मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन, तलाश वांछित, वारंटी के दौरान माननीय न्यायालय जनपद प्रतापगढ़ द्वारा जारी आदेशिका मु०नं० 9249/2022 धारा 138 एन०आई० एक्ट से सम्बन्धित 01 वारण्टी अभियुक्त ध्रुव कुमार जायसवाल पुत्र संतोष कुमार जायसवाल निवासी ग्राम नारायणगंज थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ को ग्राम नारायणगंज से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. ध्रुव कुमार जायसवाल पुत्र संतोष कुमार जायसवाल निवासी ग्राम नारायणगंज थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 39 वर्ष।

पुलिस टीम-

उ०नि० शिवनाथ सिंह मय हमराह थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना कोतवाली देहात के उ०नि० अतुल यादव मय हमराह का० वीरेन्द्र यादव, का० सन्तोष यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन, तलाश

वांछित, वारण्टी के दौरान माननीय न्यायालय द्वारा जारी अपराध संख्या 555/2013 धारा 147, 148, 149, 308, 504, 506 भादवि से सम्बन्धित एन0बी0डब्लू0 में वारण्टी 02 अभियुक्तों, 1. विकास सिंह उर्फ गोलू पुत्र अशोक कुमार सिंह निवासी ग्राम भूपियामऊ थाना को0 देहात जनपद प्रतापगढ़ 2. अशोक कुमार सिंह पुत्र स्व0 महादेव सिंह निवासी ग्राम भूपियामऊ थाना को0 देहात जनपद प्रतापगढ़ को मा0 विध्यवासिनी जलपान गृह, भूपियामऊ के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. विकास सिंह उर्फ गोलू पुत्र अशोक कुमार सिंह निवासी ग्राम भूपियामऊ थाना को0 देहात जनपद प्रतापगढ़।
2. अशोक कुमार सिंह पुत्र स्व0 महादेव सिंह निवासी ग्राम भूपियामऊ थाना को0 देहात जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 अतुल यादव मय हमराह का0 वीरेन्द्र यादव, का0 सन्तोष यादव थाना को0 देहात जनपद प्रतापगढ़।

थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी कार्यवाही: 05 अदद जिंदा देसी बम के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

थाना अन्तू पुलिस द्वारा 05 अदद जिंदा अवैध देसी बम के साथ 01 अभियुक्त आयुष सिंह को कटकामोड़ से करीब 100 मीटर पहले बहद ग्राम कटकामानापुर के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त द्वारा बरामद जिंदा देसी बमों का प्रयोग लोगों को डरा-धमकाकर अवैध वसूली करने में किए जाने की बात पूछताछ में बताई गई।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री प्रशान्त राज के पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी रानीगंज के नेतृत्व में तथा थाना अन्तू प्रभारी निरीक्षक श्री अभिषेक कुमार सिरोही के नेतृत्व में उ0नि0 रविन्द्र कुमार यादव मय हमराह आरक्षी अवधेश यादव, अंकित यादव, कन्हैया विश्वकर्मा, रि0आरक्षी आशीष गौड़ एवं रि0आरक्षी विजय कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र, शांति व्यवस्था ड्यूटी, संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश के दौरान मुखबिर की सूचना पर कटकामोड़ से करीब 100 मीटर पहले बहद ग्राम कटकामानापुर के पास से 01 अभियुक्त आयुष सिंह पुत्र अजीत प्रताप सिंह, उम्र करीब 22 वर्ष, निवासी ग्राम रायतारा छतरपुर, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़ को 05 अदद जिंदा अवैध देसी बम के साथ गिरफ्तार किया गया।

बरामदगी के संबंध में थाना अन्तू पर मु0अ0सं0 208/2026 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. आयुष सिंह पुत्र अजीत प्रताप सिंह, उम्र करीब 22 वर्ष, निवासी ग्राम रायतारा छतरपुर, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी- अवैध 05 अदद जिंदा अवैध देसी बम।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 रविन्द्र कुमार यादव, आरक्षी अवधेश यादव, आरक्षी अंकित यादव, आरक्षी कन्हैया विश्वकर्मा, रि0आरक्षी आशीष गौड़ एवं रि0आरक्षी विजय कुमार, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना रानीगंज पुलिस की कार्यवाही: फायरिंग एवं मारपीट के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, 01 अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद-

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा फायरिंग एवं मारपीट के गंभीर प्रकरण में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों में से 01 अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस एवं 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 08.08.2026 को थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जरियारी में पुरानी फौजदारी रंजिश को लेकर दो पक्षों के मध्य मारपीट एवं फायरिंग की घटना हुई थी। घटना के संबंध में वादी अम्बरीश कुमार यादव निवासी ग्राम जरियारी, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा थाना रानीगंज पर तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण द्वारा वादी एवं उसके भाई को रास्ते में घेरकर मारपीट की गई तथा जान से मारने की नीयत से अभियुक्त प्रदुम्न यादव उर्फ अभिषेक यादव द्वारा वादी के भाई बच्चा यादव के पेट में गोली मार दी गई। घटना के बाद अभियुक्तगण हवाई फायरिंग करते हुए एवं जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। घायल को उपचार हेतु रानीगंज ट्रामा सेंटर, मेडिकल कॉलेज प्रतापगढ़ तथा बाद में स्वरूपरानी अस्पताल, प्रयागराज रेफर किया गया। उक्त घटना के संबंध में थाना रानीगंज पर मु0अ0सं0 383/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/126(2)/352/351(3) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री प्रशान्त राज के पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी रानीगंज के नेतृत्व में उ0नि0 कामता प्रसाद सिंह मय पुलिस टीम द्वारा देखभाल क्षेत्र, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश के दौरान मुखबिर की सूचना पर ग्राम अठेठी स्थित सगीर की बगिया से मु0अ0सं0 383/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/126(2)/352/351(3) बीएनएस से

संबंधित वांछित 02 अभियुक्तों 1. प्रदुम्न यादव उर्फ अभिषेक यादव एवं 2. रोहित यादव को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त प्रदुम्न यादव उर्फ अभिषेक यादव की जामा तलाशी से कमर में खोंसा हुआ 01 अवैध तमंचा 315 बोर, तमंचे की नाल से 01 खोखा कारतूस तथा पैंट की जेब से 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ।

बरामद अवैध तमंचा एवं कारतूस के आधार पर अभियुक्त प्रदुम्न यादव उर्फ अभिषेक यादव के विरुद्ध मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

- 1- प्रदुम्न यादव उर्फ अभिषेक यादव पुत्र स्व० राकेश यादव, उम्र करीब 24 वर्ष, निवासी ग्राम जरियारी, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।
- 2-अभियुक्त रोहित यादव पुत्र दिनेश यादव निवासी ग्राम जरियारी, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1-अभिषेक यादव उर्फ प्रदुम्न पुत्र राकेश यादव नि०वासी जरियारी थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

1. मु०अ०सं- 219/20 धारा- 51 आपदा प्रबंधन अधि०, 188/270 भादवि व 3 महामारी अधि०
2. मु०अ०सं०- 243/2020 धारा- 147/149/308/323/325/504/506 भादवि
3. मु०अ०सं०- 383/2026 धारा- 191(2)/191(3)/190/109(1)/126(2)/352/351(3) बीएनएस

2-रोहित यादव पुत्र दिनेश यादव निवासी जरियारी थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

1. मु०अ०सं०- 383/2026 धारा- 191(2)/191(3)/190/109(1)/126(2)/352/351(3) बीएनएस
थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

- 1- 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर बरामद।
- 2- 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद।
- 3- 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद।

पुलिस टीम-

उ०नि० कामता प्रसाद सिंह, उ०नि० शिवेन्द्र कुमार, उ०नि० राजेश कुमार यादव, उ०नि० अंकित श्रीवास्तव, का० संतोष कुमार सिंह, रि०का० नीरजकान्त पाल, रि०का० चन्द्रभान यादव, म०रि०का० गौरी यादव एवं म०रि०का० करिश्मा यादव, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।